उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-4

<u>अधिसूचना</u>

संख्या - 3/2021/1076/तीस-4-2021
लखनऊ : दिनांक : 14 सितम्बर, 2021

मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59 सन् 1988) की धारा 114 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और सिविल मिस0 रिट याचिका संख्या-4855/2020 (ट्रक आपरेटर एसोसिएशन द्वारा अध्यक्ष राजेश रूपानी एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य तथा अन्य) दिनांक 23 जून, 2021 को मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में, राज्यपाल, समस्त सहायक संभागीय परिवहन अधिकारियों अथवा मोटरयान विभाग के उच्चतर अधिकारियों, ड्यूटी पर उपस्थित पुलिस निरीक्षक अथवा पुलिस विभाग के उच्चतर अधिकारियों तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा), उत्तर प्रदेश राज्य मार्ग प्राधिकरण (उपशा) एवं यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) के पदाभिहित व्यक्तियों को इस हेतु प्राधिकृत करती हैं कि यदि उनके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी माल यान या ट्रेलर का उपयोग पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 113 का उल्लंघन करके किया जा रहा है तो वह वाहन चालक से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह यान को तोलन के लिए किसी तोलनयंत्र यदि कोई हो, पर ले जाए जो किसी स्थान से आगे के मार्ग पर दस किलोमीटर की दूरी के अंदर या यान के गन्तव्य स्थान से बीस किलोमीटर की दूरी के अंदर हो, और यदि ऐसे तोलन पर यह पाया जाता है कि उस यान ने भार से संबंधित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 113 के उपबंधों का किसी प्रकार उल्लंघन किया है तो वह वाहन चालक को लिखित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि वह अधिक भार को अपनी जोखिम पर उतार दे और यान या ट्रेलर को उस स्थान से तब तक न हटाए, जब तक लदान सहित भार कम नहीं कर दिया जाता या यान अथवा ट्रेलर की बाबत अन्यथा ऐसी कार्यवाही नहीं कर दी जाती जिससे वह पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 113 का अनुपालन करे और ऐसी सूचना प्राप्त होने पर वाहन चालक ऐसे निर्देशों का पालन करेगा।

प्राधिकृत व्यक्ति, जिसने पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 114 की उपधारा (1) के अधीन लिखित रूप में आदेश किया हो, वही माल यान परमिट पर अधिक लदान से सुसंगत ब्यौरे भी पृष्ठांकित करेगा और ऐसे पृष्ठांकन के तथ्य से उस प्राधिकारी को भी अवगत करायेगा जिसने यह परमिट स्वीकृत किया हो।

यह अधिसूचना गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

आज्ञा से,

राजेश कुमार सिंह
प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।